



पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 09 आषाढ़ 1938 (श0)
30 जून, 2014 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 30

(1) गृह विभाग	16
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	08
(3) गन्ना उद्योग विभाग	03
(4) उद्योग विभाग	02
(5) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	01
कुल योग —			<u>30</u>

अल्पसंख्यक छात्रावास खोलना

*1. श्री रामायण मांडी—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत गुठनी, आन्दर, दरौली, जीरादेई, मैरवा, नवतन प्रखंड अन्तर्गत अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास के अभाव में छात्रों को दूर जाने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सीवान जिला के गुठनी, आन्दर, दरौली के किसी भी मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास कबतक खोलना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2. श्री गिरिधारी यादव—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका स्थित हवाई अड्डा का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण लगातार अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बाँका स्थित हवाई अड्डा को अतिक्रमण मुक्त कराकर चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम हटाना

*3. डॉ० अच्युतानंद—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार बाजार एवं हाजीपुर शहर के जद्दुआ चौक में गाड़ियों के गलत पार्किंग एवं सड़कों पर अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन सुबह 9 बजे से संध्या के 8 बजे तक जाम लगा रहता है, जिससे यात्रियों विशेषकर मरीजों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार महनार बाजार एवं हाजीपुर के जद्दुआ चौक पर से जाम हटाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फंड का गठन

*4. श्री राहुल कुमार—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 में ही बीमार उद्योगों की मदद के लिये कॉरपस फंड बनाये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, परन्तु आजतक कॉरपस फंड गठन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कॉरपस फंड का गठन करने का विचार रखती है ?

पुलिस चौकी की स्थापना

*5. श्री जवाहर प्रसाद—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम में 51वाँ शक्तिपीठ माँ ताराचण्डी धाम मन्दिर अस्थित है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि माँ ताराचण्डी धाम मन्दिर पर प्रतिदिन हजारों पर्यटक दर्शन करने आते हैं जहाँ शाररती तत्वों द्वारा धाम के इर्द-गिर्द पहाड़ी तरफ छिना-झपटी किये जाने के कारण धाम पर पर्यटकों के आवागमन में भारी कमी आयी है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ताराचण्डी धाम पर पुलिस चौकी की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*6. श्री राजेश सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड भितहौं के मदरसा इस्लामिया रेहहा में 1 से 8 कक्षा तक पढ़ाई किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में 350 मुस्लिम समुदाय के छात्र एवं छात्रा पठन-पाठन मात्र 2 भवन में करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि और भवन उपलब्ध कराना

*7. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड स्थित घोघरडीहा थाना को अपना भवन एवं भूमि उपलब्ध नहीं है और यह प्रखंड मुख्यालय स्थित टी0पी0सी0 भवन में पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त वर्णित थाना के लिये भूमि और भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*8. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड के ग्राम-दरूआ तथा ग्राम-पथरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गेट लगवाना

*9. श्री राजेश सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत भितहौं प्रखंड के मदरसा इस्लामिया रेहहा विद्यालय में 350 छात्र-छात्रायें पठन-पाठन करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने के कारण पशु विद्यालय के प्रांगण में चले आते हैं, जिसके कारण छात्र एवं छात्राओं को पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मदरसा विद्यालय की चहारदीवारी एवं लोहे का गेट लगवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*10. श्रीमती गुडडी देवी—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार रून्नीसैदपुर प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

* 11. श्री शिवेश कुमार—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अगिऑंव विधान-सभा अन्तर्गत गढ़हनी प्रखंड के गौरा, काउप, मदुरा, बरीड़ा, शिवपुर, एवं चरपोखरी प्रखंड के कोयल, वैदेकोरी, गाँवों में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी आजतक नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

* 12. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत काशीचक थाना का भवन काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे कई आवश्यक कागजात वर्षों के पानी से बर्बाद हो गया है, साथ ही पुलिसकर्मियों को रहने में काफी परेशानी हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माह अगस्त, 2013 में ही पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा थाना भवन काशीचक का निविदा हो चुकी है, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो काशीचक थाना भवन का निर्माण कार्य अभीतक नहीं शुरू किये जाने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

* 13. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्य मंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्ना प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के तहत सहायक निदेशक, ईख विकास बगहा, मोतीहारी, बेतिया, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहरसा, समस्तीपुर पूर्णिया, जमुई, आरा, भागलपुर, गया एवं पटना को 30,87,50,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे जिसके विरुद्ध मात्र 27,55,92,474 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 3,31,57,526 करोड़ रुपये राशि का प्रत्यापन कर दिया गया यदि हाँ, तो राशि खर्च नहीं करने का औचित्य क्या है एवं क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

चीनी उद्योग लगाना

* 14. श्री रामायण मांडवी—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत तीन चीनी मिल स्थापित की गयी थी जो अभी 1980 से बन्द पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत गन्ना युक्त मिट्टी होने के बावजूद एक भी चीनी मिल घालू नहीं होने के कारण किसानों का आय का स्रोत बन्द हो जाने से भुखमरी के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित के लिये सीवान जिलान्तर्गत चीनी उद्योग लगाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

* 15. श्री शिवेश कुमार—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिऑंव विधान-सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक बच्चों के लिये अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है

जिससे अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ाई-लिखाई में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 16. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत भेड़मारा ग्राम पंचायत के मौजा हरि प्रसाद के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार रखती है, अगर हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

* 17. श्रीमती सुनीता सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसीनी प्रखंड में एम०एस०डी०पी० योजना अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कार्य की स्वीकृति वर्ष 2013 में दी गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य हेतु जमीन भी उपलब्ध करा दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 18. श्री रामचन्द्र सहनी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड सुगौली में भटहॉ पंचायत के खुदा नगर कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी नहीं की गई है, हाँ तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक जाम से निजात

* 19. डॉ० इजहार अहमद—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला स्थित मुख्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय, कमीशनरी कार्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, दो-दो विश्वविद्यालय, दो बस स्टैंड पर बढ़ते शहरीकरण की वजह से हमेशा ट्रैफिक जाम रहने से आम जनों को आने-जाने में बड़ी समस्या प्रतिदिन होती रहती है, जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है, यदि हाँ तो सरकार जनहित में ट्रैफिक जाम रहने से निजात कबतक दिलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 20. मो० आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के गुडी पंचायत किशनगंज गुलाबी पहाड़ की कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, कबतक नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*21. श्रीमती सुनीता सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत हाई स्कूल, बेलसैंड एवं जनता हाई स्कूल, परसौनी में एम०एस०डी०पी० योजना अन्तर्गत 50 बेटे वाले लड़कों का छात्रावास भवन का निर्माण वर्ष 2013 में स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों हाई स्कूल के छात्रावास का भवन निर्माण कब तक प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*22. डॉ० अच्युतानन्द—दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 2 जून, 2014 के अंक में छपी खबर "भूसखोर जवान कराते हैं गाँधी सेतु जाम" के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रेलवे के पटना गाँधी सेतु पर तैनात पुलिस की लापरवाही एवं रिवक्वतखोरी के कारण नियमों की अवहेलना करने से प्रायः जाम लग जाता है, जिससे हजारों यात्री रोज परेशान होते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि 10 चक्का वाले चाहनों के आवागमन और ओभर टेकिंग के कारण जाम होता है और जिसपर पुलिस के जवान और पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सरकारी नियमों की अवहेलना करने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले भ्रष्ट पुलिस जवानों और पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार कब तक रखती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*23. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत घोषरदोहा प्रखंड मुख्यालय स्थित विधिया कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु वर्ष 2006-07 में 5 लाख रुपये आवंटित किया गया था। लेकिन कब्रिस्तान की घेराबंदी पूरी नहीं की गई, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी सुनिश्चित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*24. डॉ० अब्दुल गफ्फर—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के महिषी प्रखंड अन्तर्गत सिरवार-विरवार पंचायत के मौजा नाकुच गमरहो कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु वर्ष 2011-12 में प्रा० राशि 14,20,700 रुपये की स्वीकृति के उपरान्त कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्वा०शे०अभि० समुन, सहरसा द्वारा कार्यान्वित कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य फरी लेवल तक होकर 2 वर्षों से बंद है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी के रुके कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिवेदन उपलब्ध कराना

*25. श्रीमती उषा मिश्रा—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि माँ दुर्गा इंडस्ट्रीज औद्योगिक प्रांगण पार्ट्सपुत्रा, पटना द्वारा बियाडा के मार्गदर्शिका के कंडिका 4.5, 4.3 के आलोक में एस०टी०डी० बूथ एवं कौटन के कार्य हेतु प्रपत्र "ए", प्रपत्र "बी" तथा परियोजना प्रतिवेदन वर्ष 2002 में समर्पित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि अवर-सचिव, उद्योग विभाग के पत्रांक 4897, दिनांक 21 नवम्बर, 2013 द्वारा इसकी जाँच कर प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश प्रबंध निदेशक, बियाडा को दिया गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रबंध निदेशक, बियाडा द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन सरकार को आज तक नहीं सुपुर्द की गयी है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो प्रबंध निदेशक द्वारा जाँच प्रतिवेदन सरकार को आज तक उपलब्ध नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

*26. श्री रामचन्द्र सहनी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखण्ड सुगौली में 30 मनसिंघा पंचायत अन्तर्गत चमर दिहुली कब्रिस्तान बक्सा को घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तान को घेराबन्दी कराने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ईदगाह की घेराबन्दी

*27. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखण्ड अन्तर्गत मोहनपुर ग्राम पंचायत के ईदगाह को घेराबन्दी अबतक नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ईदगाह को घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*28. मो० आफ़ाक़ आलम—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के श्रीनगर चौक का ओ०पी० थाना का चहारदीवारी एवं स्टाफ के लिये आवासीय भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ओ०पी० थाना का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बकाये राशि की वसूली

*29. श्री मंजोत कुमार सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पेरारं वर्ष 2012-13 में राज्य के सभी चीनी मिलों से क्षेत्रीय विकास कमिशन की कुल राशि 1389.11 करोड़ वसूली नहीं हो सकी, यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्रीय विकास कमिशन के बकाये राशि की वसूली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

*30. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखंड के ग्राम पंचायत, राज नहरनिर्मा के तत्कालीन मुखिया श्री शिव कुमार ठाकुर एवं पंचायत सचिव श्री बसंत जी द्वारा वर्ष 2010-11 की योजना बी०आर०जे०एफ० और बारहवीं वित्त आयोग की राशि में मृत व्यक्ति के नाम पर राशि की निकासी के आरोप में हरलाखी थाना कांड संख्या 48/13, दिनांक 4 सितम्बर, 2013 को दर्ज किया गया है, यदि उपर्युक्त खंड का उच्च स्वीकारात्मक है, तो अभीतक दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

पटना:
दिनांक 30 जून, 2014(ई०)

इंरे राम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।